



अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य हेतु परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य 18% GST सहित (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा डाउनलोड करने की तिथि	बिड खुलने की तिथि व समय
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली, बिजौली, छर्वा, इगलास, गौण्डा, खैर, जर्वी, हरदुआगंज, अकराबाद, टप्पल, चण्डौस, गभाना एवं लोधा जिला अलीगढ़ में फायर अलार्म एवं फायर फाइटिंग सिस्टम से सम्बन्धित कार्य।	65.00	0.70	3540.00	2 माह	29.06.2024	09.07.2024 11:30 AM

नियम एवं शर्तें

- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से इण्डियन बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के खाता सं०-50141297464 आई.एफ.एस.सी. कोड-IDIB000I522 में निविदा खुलने से एक दिन पूर्व विद्युत/यांत्रिक-इकाई के उपरोक्त खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र एन०आईसी० की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि व नियमितरूप से उक्त वेब साइट देखते रहें क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदादाता फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कोई कर जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जाती है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।

प्रकाशनार्थ नहीं:

- निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सिक्क्योरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सीडी०आर० के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
- कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता द्वारा बिड में दिए गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उरसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- शासनादेश सं०-622-231-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०/दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल आफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत बिलों (नीची दर/कम दर) तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों (नीची दर/कम दर) पर 1 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्क्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी एफ०डी०आर०/सीडी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) निविदा स्वीकृति से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात वापसी योग्य होगी।

क्रमशः...2/-

Signature
24/06/24
EE

5. सभी देयकों से कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है कि कटौती नियमानुसार की जायेगी।
6. सर्शत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. ई-निविदा की खोलने की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना वेबसाइट पर बिड खुलने के एक कार्य दिवस के अन्दर देखी जा सकती है।
8. कार्यालय में निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर ले।
9. चिकित्सालयों में कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के दृष्टिगत कार्यों की मात्रा के विचलन होने की दशा में फर्म द्वारा निविदा दरों पर ही कार्य पूर्ण किया जाना होगा।
10. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों-असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा किसी भी राज्य के बार काउन्सिल में पंजीकृत है तो उससे किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
11. आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्यों हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावलि वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से निविदा मूल्य तथा नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
12. धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के खाते में एक दिन पूर्व जमा करनी होगी तथा उक्त जमा रसीद की मूल कापी की छाया प्रति ई-निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर अपलोड करना आवश्यक है। निविदा का मूल्य एवं धरोहर धनराशि जमा न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. परिषद में पंजीकृत ठेकेदार जिन्होंने अपने श्रेणी में पूर्ण स्थाई धरोहर धनराशि जमा की हुई हो को अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
14. कार्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें इत्यादि निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त की जा सकती है।
15. कोई एक अथवा समस्त निविदायें पूर्ण/आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार परिषद को सुरक्षित होगा। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य न होगा।
16. *Experience of having successfully completed similar works during last 7 years ending last day of month previous to the one in which applications are invited should be either of the following: -*
 - a. *Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.*
 - or*
 - b. *Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.*
 - or*
 - c. *One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost*
17. कोई भी निविदादाता जो उ0प्र0 राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, अथवा देश के किसी भी फोरम से पैनालाइज न हो वो ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
18. कार्य के अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य समाप्त होने व विद्युत सुरक्षा /फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित होने एवं शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
19. फर्म द्वारा राजकीय/निगम/परिषद विभाग में कराये गये अग्निशमन से सम्बन्धित कार्यों का अनुभव एवं फायर एन0ओ0सी0 निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

पृ0सं0

681

/ AC-3 / 38

दिनांक- 24/06/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक(म0), ग्लोबल कन्सल्टेशन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता(म0), लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. श्री छोटेलाल मौर्य, सहायक अभियन्ता/श्री सौरभ कुमार, अवर अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, लखनऊ।
4. सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर/अवर अभियन्ता (तकनीकी), विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. मैसर्स एप्लाज एडवर्टाइजिंग, के-765, आशियाना कालोनी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 25.06.2024 तक दैनिक समाचार "आज" हिन्दी एवं "पायनियर" अंग्रेजी (5x5) में प्रकाशित कराते हुए बीजक दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करें।
7. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता

24/06/24